

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 जनवरी 2020—पौष 24, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2020

क्र. एफ ए 3-13-2017-1-पांच-(01).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई सारणी कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के वर्ग को उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिए नियुक्त करती है:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अधिकारियों का वर्ग (2)
1.	राज्य कर विशेष आयुक्त (अपील)
2.	राज्य कर अपर आयुक्त (अपील)
3.	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपील)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2020

क्र. एफ ए 3-13-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-13-2017-1-पांच (01), दिनांक 14 जनवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 14th January 2020

No. F A 3-13-2017-1-V-(01).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) the State Government, hereby appoints class of officers specified in column (2) of the table given below for the implementation of the provisions of the said Acts and Rules there under:—

TABLE

S. No. (1)	Class of officers (2)
1.	Special Commissioner (Appeals) of State Tax
2.	Additional Commissioner (Appeals) of State Tax
3.	Joint Commissioner (Appeals) of State Tax

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.